मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 5, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेताप्रतिपक्ष, श्री आरिफ अकील, सदस्य सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य भी प्रश्न संख्या-8 पर शासन की ओर से जवाब न आने के विरोध में गर्भगृह में आ गए तथा सदन से बहिर्गमन कर गये)

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यगण प्रश्न संख्या-17 पर शासन का जबाव गलत देने संबंधी अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ गए)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 102 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 73 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है जसके लिये यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम दस सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा जायेगा,उसके बाद की अन्य सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

मै समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने श्योपुर जिला विजयपुर थाना क्षेत्र ग्राम गोरा के किसान की बकरियां चोरी होने,

(2) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य ने धार जिले के ग्राम जाहुर गोपालपुरा स्थित आदिवासी महिला को डूब में आने वाली कृषि भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने सीधी जिले में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को वेतन न मिलने,

(4) श्री नारायण त्रिपाठी,सदस्य ने मैहर जिला सतना अंतर्गत सरला नगर में भीषण पेयजल संकट होने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(5) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर की भिरतवार तहसील में रबी की फसल पर पाला पड़ने से किसानों को नुकसान होने,

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश के महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की मांगे शासन द्वारा न मानने,

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा,सदस्य ने भोपाल के नेहरू नगर में गंदगी का साम्राज्य होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं

(8) श्री प्रेम चंद गुड्डू, सदस्य की इंदौर स्थित गुजरात मर्केन्टाईल क्रेडिट सोसायटी द्वारा जमाकर्ताओं की राशि न दी जाने,

(9) श्री दिलीप भटेरे , सदस्य की बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि न दी जाने,

(10) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा अंतर्गत विद्युत मंडल के सतर्कता दल द्वारा विद्युत चोरी पकड़े जाने अभियान में भारी अनियमितता किये जाने,

(11) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के जामइ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूलों का उन्नयन के बाद भी पदों को न भरने,

(12) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की शासकीय माध्यमिक शाला टीला जमालपुर भोपाल में पदस्थ शिक्षक का अटैच गैर शिक्षण कार्य में होने,

(13) श्री के.डी.देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले के खमरिया में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर बंद होने,

(14) श्री उमा शंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के जहांगीराबाद कब्रिस्तान से जेल रोड तक सड़क चौड़ीकरण से लाईट के खम्भे बीच में आने से दुर्घटनाएं होने,

(15) श्री गिरिराज मंडलोई, सदस्य की सीहोर जिला मुख्यालय हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के पास ग्राम मुरली में अवैधानिक रूप से जमीन दिये जाने,

(16) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में अनेक क्षेत्रों में जुआं, सट्टा, स्मेक का कारोबार चलने ,

(17) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित मध्यप्रदेश यूनाईटेड प्रोपलीन लिमिटेड के लाभ के बाद भी बन्द किये जाने,

(18) श्री राम निवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले की नगरपालिका सबलगढ़ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित किये जाने,

(19) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना का बंद होने,

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(1) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 ; एवं

(2) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक मे दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सुचनाएं नहीं ली जा सकती है। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय, सदसयों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल व ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घन्टे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।
मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य ने सिवनी स्थित कन्या महाविद्यालय भवन वीरान क्षेत्र में होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य ने दतिया जिले में राजघाट नहर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री किशोरी लाल वर्मा, सदस्य ने म.प्र. स्काउट एवं गाइड संस्था के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई योजना हेतु दी गई अनुदान राशि की वसूली किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य द्वारा "झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई योजना हेतु दी गई अनुदान राशि की वसूली किये जाने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर उनके प्रश्न के उत्तर न दिलाये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रियव्रत सिंह

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(3) डॉ. निशिथ पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(1.00 बजे से 2.35 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 2.35 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित होकर 2.47 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

(श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) प्रस्तुत नहीं हो सका)

7. अशासकीय संकल्प

(1) (श्री शरद जैन "एडवोकेट"), डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से मुम्बई तक वायु सेवा व्हाया नागपुर तथा वापसी जबलपुर प्रारंभ की जावे".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल
(2) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(3) श्री शरद जैन (एडवोकेट)
(4) श्री सत्यदेव कटारे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि शासकीय सेवकों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को 90 दिन के अंदर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) डॉ. सुनीलम्

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(3) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी, सोनोग्राफी आदि की सुविधा रोगियों को उपलब्ध कराई जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सुनीलम्

(2) श्री सत्यदेव कटारे

(3) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री अजय विश्नोइ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

04.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 9, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.